रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23112021-231312
CG-DL-E-23112021-231312

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 665] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 23, 2021/अग्रहायण 2, 1943
No. 665] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 23, 2021/AGRAHAYANA 2, 1943

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2021

सा.का.नि. 824(अ).—केंद्रीय सरकार, महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का 1) की धारा 71 की उपधारा (2) के खंड (च) के साथ पठित धारा 27 की उपधारा (1) के पहले परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम महापत्तन प्राधिकरण (दरों, फीस के परिमाप और शर्तों का नियतन और कार्यान्वयन) नियम, 2021 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) “अधिनियम” से महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का 1) अभिप्रेत है

(ख) “सेवाओं” से निम्नलिखित अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत है

(i) महापत्तन या महापत्तन पहुंच में जलयानों के बीच यात्रियों या मालों का अन्तर पोत परिवहन;

(ii) बोर्ड के या उसके कब्जे या अधिभोग में अथवा महापत्तन या महापत्तन पहुंच की सीमाओं के भीतर

किसी स्थान पर यात्रियों या मालों की ऐसे जलयानों को या घाट, जहाजी घाट, जेटी, पोतघाट, डोक, गोदी, नौबंध, मंच या उत्थापन को उतरायी और पोत परिवहन;

(iii) ऐसे किसी स्थान पर मालों की क्रेनेज या पोटर्रेज;

(iv) ऐसे किसी स्थान पर कार्गो, आधान का हथालन या भंडारण;

(v) पत्तन आस्तियों, पत्तन सीमाओं या महापत्तन पहुंच के भीतर लाए गए माल को प्राप्त करना, हटाना, अन्तरित करना, परिवहन करना, भंडारण करना या परिदान करना;

(vi) महापत्तन या महापत्तन पहुंच की सीमाओं के भीतर रेल या अन्य साधनों से यात्रियों को ले जाना;

(vii) रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) के अधीन रेल प्रशासन के रूप में महापत्तन में जलयानों में उद्भम होने वाले तथा निकटवर्ती रेल मार्ग द्वारा या विपर्ययेन ले जाने के लिए माल को प्राप्त करना और परिदान करना, परिवहन करना तथा बुक और प्रेषण करना;

(viii) जलयानों अथवा जलयानों के संबंध में किसी अन्य सेवा की जहाजरानी, खिंचाई, लंगरगाह, गोदी, अन्तरण, कर्षण, नौबंध, पुनःनौबंध, अंकुश या मापन;

(ix) महापत्तन के लिए अवसंरचना सुविधाओं का विकास और उन्हें प्रदान करना;

(x) किसी भी रीति में उनसे संबद्ध पत्तन सागर खंड, पत्तन हस्तियों और भूमि का उपयोग जिसके अन्तर्गत वाणिज्यिक या प्रचालन प्रयोजनों के लिए उपयोग भी है;

(xi) जलयानों, यात्रियों या माल के संबंध में कोई अन्य सेवा, जिसके अन्तर्गत महापत्तन के प्रचालनों की अनुषंगी सेवाएं भी हैं ।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए किन्तु अधिनियम में परिभाषित किए गए शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उनके अधिनियम में है ।

3. महापत्तन पर उपलब्ध आस्तियों और सेवाओं के लिए दरों के परिमाप – (1) प्रत्येक महापत्तन प्राधिकरण का बोर्ड समय-समय पर, दरों के परिमाप और शर्तों का कथन विरचित करेगा जो निम्नलिखित के लिए लागू होंगे –

(क) सेवाएं जो महापत्तन या महापत्तन पहुंच पर या उनके संबंध में बोर्ड द्वारा निष्पादित की जाएंगी या उपलब्ध करवायी जाएंगी ;

(ख) बोर्ड की या उसके कब्जे या अधिभोग में अथवा पत्तन की सीमाओं के भीतर किसी स्थान पर या महापत्तन पहुंच में पत्तन आस्तियों तक पहुंच या उपयोग अनुज्ञात करना;

(ग) महापत्तन पर या पत्तन की सीमाओं के भीतर कोई अन्य राजस्व सृजन करने वाला क्रियाकलाप या प्रचालन।

(2) उपनियम (1) के अधीन क्रियाकलापों के भीतर विभिन्न प्रवर्गों या वर्गों के लिए बोर्ड द्वारा भिन्न-भिन्न परिमाप और शर्तें विरचित की जा सकेगी ।

(3) बोर्ड, समय-समय पर सेवा या सेवाओं के किसी संयोजन के लिए उपयोक्ता से या बोर्ड की या उसके कब्जे या अधिभोग में किसी पत्तन आस्ति का उपयोग करने के लिए अनुज्ञा हेतु दरों का समेकित परिमाप विरचित कर सकेगा ।

(4) उपनियम (1) के अधीन विरचित दरों के परिमाप तथा शर्तों का कथन अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व दिए गए पब्लिक प्राइवेट भागीदारी परियोजनओं या ऐसे पब्लिक प्राइवेट भागीदारी परियोजनाओं के परिमाप के पुनरीक्षण के लिए लागू नहीं होंगे, जिनके लिए सरकार से पृथक् निदेश लागू होंगे ।

4. दरों, फीस के परिमाप तथा शर्तों के अवधारण हेतु समिति गठित करने की बोर्ड की शक्ति – (1) बोर्ड नियम (3) के अधीन दरों, फीस के परिमाप और शर्तों के अवधारण के प्रयोजन के लिए समिति का गठन कर सकेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन बोर्ड द्वारा गठित प्रत्येक समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क) बोर्ड का एक सदस्य जो समिति का अध्यक्ष होगा;

(ख) महापत्तन में वित्त प्रमुख; और

(ग) महापत्तन में विभाग प्रमुख की रेंक से अन्यून महापत्तन के दो से अन्यून और चार से अनधिक ज्येष्ठ पदधारी ।

(3) उपनियम (1) के अधीन बोर्ड द्वारा गठित प्रत्येक समिति का कार्यकाल उस तारीख से जिसको इसका गठन किया गया है, तीन वर्ष होगा :

परन्तु बोर्ड, किसी भी समय ऐसे सदस्य की मृत्यु, बीमारी, क्षति, निर्योग्यता या सेवानिवृत्ति से संबंधित कारणों की वजह से या किसी अन्य कारण से जिसे बोर्ड ठीक और उचित समझे, किसी अन्य अर्ह व्यक्ति से समिति के सदस्य को बदल सकेगा ।

(4) उपनियम (1) के अधीन गठित समिति ऐसे समय और ऐसे स्थानों पर बैठक करेगी तथा इसकी बैठकों में, जिसके अन्तर्गत गणपूर्ति भी है, कारबार के संव्यवहार के संबंध में ऐसे विनियमों का पालन करेगी जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(5) बोर्ड उपनियम (1) के अधीन गठित समिति को नियम 3 के अधीन दरों के परिमाप और शर्तों के अवधारण के लिए ऐसे विशेषज्ञों, वृत्तिकों या महापत्तन के अन्य अधिकारियों (विभाग के प्रमुख की रेंक से अन्यून) से परामर्श करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा जो बोर्ड ऐसी शर्तों के साथ जो वह ठीक और उचित समझे, लिखित में आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

5. बोर्ड द्वारा गठित समिति के कृत्य – (1) नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन बोर्ड द्वारा गठित समिति ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, नियम 3 के अधीन दरों, फीस के परिमाप तथा शर्तें अवधारित करेगी तथा अपनी सिफारिशों को लिखित में बोर्ड को अनुमोदन के लिए भेजेगी ।

(2) दरों, फीस के परिमाप और शर्तों का अवधारण संबंधित समिति द्वारा निम्नलिखित कारकों पर विचार करने के पश्चात् किया जाएगा :

(क) उस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांत या निदेश;

(ख) बाजार की स्थितियां तथा प्रतिस्पर्धात्मक कीमत निर्धारण; और

(ग) पणधारियों से प्राप्त प्रतिपुष्टि ।

(3) उपनियम (2) के अधीन रहते हुए, उपनियम (1) के अधीन की गई सिफारिशें समिति द्वारा दरों, फीस के परिमाप और शर्तों के अवधारण में अनुप्रयुक्त कार्यपद्धति, मानदंडों और प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से समझाएंगी ।

(4) नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन बोर्ड द्वारा गठित समिति इन नियमों के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन सम्यक् सावधानी से करेगी ।

6. बोर्ड द्वारा दरों के परिमाप का अनुमोदन, नियतन और प्रकाशन – (1) नियम 5 के उपनियम (1) के अधीन समिति या समितियों द्वारा की गई सिफारिशों की प्राप्ति पर, बोर्ड परिवर्तनों के साथ या उनके बिना ऐसी सिफारिशों का अनुमोदन कर सकेगा और तद्नुसार नियम 3 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए दरों, फीस के परिमाप तथा शर्तों को नियत और विरचित कर सकेगा :

परन्तु समिति या समितियों द्वारा की गई सिफारिशों से किसी विचलन के लिए कारण बोर्ड द्वारा लिखित में लेखबद्ध किए जाएंगे :

परन्तु यह और कि इन नियमों के अधीन बोर्ड द्वारा दरों, फीस के परिमाप और शर्तों का नियतन और कार्यान्वयन–

(क) भूतलक्षी प्रभाव से नहीं होगा; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों या निदेशों के अल्पीकरण में नहीं होगा; और

(ग) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों से असंगत नहीं होगा; और

(घ) बाजार दशाओं, प्रतिस्पर्धात्मक कीमत निर्धारण के मूल्यांकन तथा पणधारियों से प्राप्त प्रतिपुष्टि के पश्चात् नियत किया जाएगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन बोर्ड द्वारा नियत किए गए दरों, फीसों के परिमाप और शर्तें राज्य के राजपत्र में बोर्ड द्वारा प्रकाशित किए जाएंगे और वे ऐसी तारीख से प्रवृत्त होंगे जो बोर्ड द्वारा उक्त राजपत्र में अधिसूचित की जाए ।

(3) उपनियम (1) के अधीन बोर्ड द्वारा नियत किए गए दरों, फीसों के परिमाप और शर्तें उपनियम (2) में उल्लिखित राज्य के राजपत्र में उनकी अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेंगे ।

7. दरों के प्रथम परिमाप को नियत करना – बोर्ड, अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर दरों, फीसों के प्रथम परिमाप तथा शर्तें नियत और प्रकाशित करेगा अथवा ऐसे दरों, फीसों के परिमाप तथा शर्तों को अंगीकार करेगा जो अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व विद्यमान थे ।

8. दरों या प्रभारों के परिमाप से छूट और विप्रेषण – बोर्ड, विशेष मामलों में तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह समय-समय पर नियत करे तथा लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से या तो पूर्णतया या भागतः अधिनियम के अधीन प्रवृत्त दर या प्रभार के किसी परिमाप के अनुसार उनके संबंध में उद्ग्रहणीय किसी दर या किसी प्रभार के संदाय से किसी माल, सेवाओं या जलयानों या माल, सेवाओं या जलयानों के वर्ग को छूट दे सकेगा अथवा इस प्रकार उद्ग्रहीत ऐसी दर या प्रभार को पूर्णतः या उसके किसी भाग को विप्रेषित कर सकेगा ।

9. दरों, फीसों के परिमाप तथा शर्तों का पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण – (1) दरों, फीसों के परिमाप और शर्तों के पुनरीक्षण की प्रक्रिया क्रमशः उनकी अवसान की तारीख के कम-से-कम तीन मास पहले बोर्ड द्वारा आरम्भ की जाएगी ।

परन्तु यदि बोर्ड यथापूर्वोक्त पुनरीक्षण करने में असमर्थ है तो बोर्ड, लागू अंतिम दरों, फीसों के परिमाप और शर्तों को छह मास से अनधिक ऐसी अवधि के लिए विस्तारित करेगा तथा लिखित में ऐसे विस्तार के कारण लेखबद्ध करेगा ।

(2) उपनियम (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड महापत्तन के कारबार तथा वित्तीय निष्पादन के आधार पर इन नियमों के अधीन नियत दरों, फीस के परिमाप तथा शर्तों का वार्षिक पुनर्विलोकन कर सकेगा तथा यदि वह आवश्यक समझे तो उस प्रभाव हेतु सुधारात्मक कार्रवाई कर सकेगा ।

(3) विधि में परिवर्तन होने की स्थिति में जिसके परिणामस्वरुप इन नियमों के अधीन बोर्ड द्वारा अंगीकृत या प्रकाशित किन्हीं दरों, फीसों के परिमाप या शर्तों में पुनरीक्षण होता है तो, यथास्थिति, पुनरीक्षित दरों, फीसों के परिमाप या शर्तों को बोर्ड द्वारा अंगीकृत और कार्यान्वयन के लिए अधिसूचित किया जाएगा ।

10. कतिपय मामलों में रियायती दरें उद्ग्रहीत करने की शक्ति – (1) इन नियमों के किन्हीं पूर्वगामी उपबंधों के अधीन दरों का परिमाप विरचित करने में बोर्ड निम्नलिखित किन्हीं परिस्थितियों में रियायती दर विहित कर सकेगा:

(क) यदि यह राष्ट्रीय हित या आकस्मिकता का विषय है जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाए;

(ख) यदि केन्द्रीय सरकार ने इस प्रभाव का आदेश लिखित में किया है; या

(ग) यदि यह उस राज्य के लिए जहां महापत्तन स्थित है, सामाजिक महत्व का विषय है; या

(घ) यदि यह बाजार की दशाओं या प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों के कारण वांछित है ।

(2) उपनियम (1) के अधीन रियायती दर विहित करने में बोर्ड इसके समक्ष रखे गए रियायत के लिए प्रस्ताव, यदि कोई हो, पर विचार करेगा तथा रियायती दर विहित करने, इसकी वैधता और ऐसी शर्तें जो ऐसी रियायती दर का फायदा लेने में पूर्ण की जाएंगी, के लिए लिखित में कारण लेखबद्ध करेगा ।

11. केन्द्रीय सरकार की दरों के परिमाप के उपांतरण या रद्दकरण की अपेक्षा करने की शक्ति – (1) जब कभी केन्द्रीय सरकार लोक हित में ऐसा करना आवश्यक समझे, तो वह कारणों के कथन के साथ लिखित में आदेश द्वारा ऐसी अवधि के भीतर जैसा वह सरकार आदेश में विनिर्दिष्ट करे, तथा बोर्ड को प्रवृत्त दरों के परिमाप को रद्द करने या उसमें उपांतरण करने के लिए निदेश दे सकेगी ।

(2) यदि बोर्ड विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उपनियम (1) के अधीन निदेश का पालन करने में असफल रहता है या उसकी अवहेलना करता है, तो केन्द्रीय सरकार दरों के ऐसे किसी परिमाप को रद्द कर सकेगी या उसमें ऐसे उपांतरण कर सकेगी जो वह ठीक समझे:

परन्तु दरों के किसी परिमाप के ऐसे रद्द या उपांतरित करने के पूर्व केन्द्रीय सरकार किसी आक्षेप या सुझाव पर विचार करेगी जो विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर बोर्ड द्वारा किया जाए ।

(3) यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा उपनियम (2) के अधीन दरों का कोई परिमाप रद्द या उपांतरित किया गया है तो ऐसा रद्दकरण या उपांतरण केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा तथा उसका तद्नुसार प्रभाव होगा ।

12. प्रकीर्ण – (1) बोर्ड का अध्यक्ष किसी भी समिति की बैठक में पदेन सदस्य के रूप में उपस्थित हो सकेगा और जब कभी अध्यक्ष किसी समिति की बैठक में उपस्थित होता है तो वह उस बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(2) बोर्ड के अध्यक्ष या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत व्यक्ति से भिन्न कोई समिति सदस्य समिति की बैठकों में किए गए विनिश्चय से संबंधित विषयों पर प्रैस या किसी अन्य पब्लिक मीडिया को सूचना नहीं देगा ।

[फा. सं.पीडी-24015/21/2021-पीडी-1)]

विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2021

GSR. 824 (E).—In exercise of the powers conferred by first proviso to sub-section (1) of section 27 read with clause (f) of sub-section (2) of section 71 of the Major Port Authorities Act, 2021 (1 of 2021), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Major Port Authorities (Fixation and Implementation of Scale of Rates, Fees and Conditions) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,--

(a) "Act" means the Major Port Authorities Act, 2021 (1 of 2021);

(b) "services" shall mean and include the following services:

(i) transhipping of passengers or goods between vessels in the major port or major port approaches;

(ii) landing and shipping of passengers or goods from or to such vessels to or from any wharf, quay, jetty, pier, dock, berth, mooring, stage or erection, land or building belonging to or in the

possession or occupation of the Board or at any place within the limits of the major port or major port approaches;

(iii) cranage or porterage of goods on any such place;

(iv) cargo, container handling or storage on any such place;

(v) receiving, removing, shifting, transporting, storing or delivering goods brought within the port assets, port limits or major port approaches;

(vi) carrying passengers by rail or by other means within the limits of the major port or major port approaches;

(vii) receiving and delivering, transporting and booking and despatching goods originating in the vessels in the major port and intended for carriage by the neighbouring railways, or vice versa, as a railway administration under the Railways Act, 1989 (24 of 1989);

(viii) piloting, towage, anchorage, berthing, shifting, hauling, mooring, re-mooring, hooking or measuring of vessels or any other service in respect of vessels;

(ix) developing and providing infrastructure facilities for major port;

(x) use of port waters, port assets and land appurtenant thereto in any manner including for commercial or operational purposes;

(xi) any other service in respect of vessels, passengers or goods including services ancillary to the operations of the major port.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Scale of rates for assets and services available at major port.- (1) The Board of each Major Port Authority may from time to time, frame a scale of rates and a statement of conditions that would apply for–

(a) services that shall be performed or made available by the Board at or in relation to the major port or major port approaches;

(b) allowing access to or usage of port assets belonging to, or in the possession or occupation of, the Board, or any place within the port limits or the major port approaches;

(c) any other revenue generating activity or operation at the major port or within the port limits.

(2) Different scales and conditions may be framed by the Board for different categories or classes within the activities under sub-rule (1).

(3) The Board may, from time to time frame a consolidated scale of rates for any combination of service or services with any user or permission to use any port asset belonging to or in the possession or occupation of the Board.

(4) The scale of rates and statement of conditions framed under sub-rule (1) shall not apply to public private partnership projects awarded prior to the commencement of the Act or for the revision in the scale of rates of such public private partnership projects, for which separate directions from the Government shall apply.

4. Power of Board to constitute committee for determination of scale of rates, fees and conditions.- (1) The Board may constitute committee for the purpose of determining the scale of rates, fees and conditions under rule 3.

(2) Each committee constituted by the Board under sub-rule (1) shall consist of the following members, namely:-

(a) one Member of the Board, who shall be the chairperson of the committee;

(b) finance head in the major port; and

(c) not less than two and not exceeding four senior officials of the major port not below the rank of Head of Department in the major port.

(3) Each committee constituted by the Board under sub-rule (1) shall have a tenure of three years from the date on which it is constituted.

Provided that the Board may, at any time, replace any member of the committee by another qualified person on account of reasons pertaining to the death, sickness, injury, disability or retirement of such member or for any other reason as the Board may deem fit and proper.

(4) The committee constituted under sub-rule (1) shall meet at such time and at such places, and shall observe such regulations in regard to the transaction of business at its meetings including the quorum as may be specified by the Board.

(5) The Board may allow the committee constituted under sub-rule (1) to consult such experts, professionals or other officers of the major port (not below the rank of Head of Department) for determination of the scale of rates and conditions under rule 3, as the Board may specify by order in writing along with such conditions as it may deem fit and proper.

5. Functions of committee constituted by the Board.- (1) The committee constituted by the Board under sub-rule (1) of rule 4 shall, within such period and subject to such conditions as may be specified by the Board, determine the scale of rates, fees and conditions under rule 3 and submit its recommendations in writing to the Board for approval.

(2) The determination of the scale of rates, fees and conditions shall be done by the concerned committee after considering the following factors:

(a) guidelines or directions issued by the Central Government in that behalf;

(b) market conditions and competitive pricing; and

(c) feedback received from stakeholders.

(3) Subject to sub-rule (2), the recommendations made under sub-rule (1) shall clearly explain the methodology, norms and procedures applied by the committee in determining the scale of rates, fees and conditions.

(4) The committee constituted by the Board under sub-rule (1) of rule 4 shall discharge its functions under these rules with due diligence.

6. Approval, fixation and publication of scale of rates by the Board.- (1) Upon receipt of recommendations made by the committee or committees under sub-rule (1) of rule 5, the Board may, with or without any changes, approve such recommendations and accordingly fix and frame the scale of rates, fees and conditions for the purposes specified in rule 3:

Provided that the reasons for any deviation from the recommendations made by the committee or committees shall be recorded by the Board in writing:

Provided further that the fixation and implementation of the scale of rates, fees and conditions by the Board under these rules shall–

(a) not be with retrospective effect; and

(b) not be in derogation with the guidelines or directions issued by the Central Government in this behalf; and

(c) not be inconsistent with the provisions of the Competition Act, 2002 (12 of 2003) or any other law for the time being in force; and

(d) have been fixed after evaluating the market conditions, competitive pricing and feedback received from stakeholders.

(2) The scale of rates, fees and conditions fixed by the Board under sub-rule (1) shall be published by the Board in the State Gazette and the same shall come into force from such date as may be notified by the Board in the said Gazette.

(3) The scale of rates, fees and conditions fixed by the Board under sub-rule (1) shall remain valid for a period of three years from the date of their notification in the State Gazette mentioned in sub-rule (2).

7. Fixation of first scale of rates.- The Board shall, within a period of one hundred eighty days from the date of commencement of the Act, fix and publish the first scale of rates, fees and conditions or adopt such scale of rates, fees and conditions that were existing immediately prior to the commencement of the Act.

8. Exemption from and remission of scale of rates or charges.- The Board may, in special cases and subject to such conditions as it may fix from time to time, and for reasons to be recorded in writing, exempt either wholly or partially any goods, services or vessels or class of goods, services or vessels from the payment of any rate or of any charge leviable in respect thereof according to any scale of rate or charge in force under the Act or remit the whole or any portion of such rate or charge so levied.

9. Review and revision in scale of rates, fees and conditions.- (1) The process for revision in the scale of rates, fees and conditions shall be initiated by the Board at least three months prior to their respective date of expiry:

Provided that if the Board is unable to undertake revision as aforesaid, the Board shall extend the last applicable scale of rates, fees and conditions for such period not exceeding six months and record the reasons for such extension in writing.

(2) Without prejudice to sub-rule (1), the Board may conduct an annual review of the scale of rates, fees and conditions fixed under these rules based on the business and financial performance of the major port and if deemed necessary, take corrective actions to that effect.

(3) In the event of change in law that results in the revision of any scale of rates, fees or conditions adopted or published by the Board under these rules, the revised scale of rates, fees or conditions, as the case may be, shall be adopted by the Board and notified for implementation.

10. Power to levy concessional rates in certain cases.- (1) In framing scale of rates under any of the foregoing provisions of these rules, the Board may prescribe a concessional rate in any of the following circumstances:

(a) if it is a matter of national interest or emergency as determined by the Central Government;

(b) if the Central Government has made an order in writing to that effect; or

(c) if it is a matter of social importance for the State where the major port is situated; or

(d) if it is warranted on account of market conditions or competitive pricing.

(2) In prescribing the concessional rate under sub-rule (1), the Board shall consider the proposal for concession, if any, placed before it and record the reasons in writing for prescribing the concessional rate, its validity and such conditions that shall be fulfilled in availing the benefit of such concessional rate.

11. Power of Central Government to require modification or cancellation of scale of rates.- (1) Whenever the Central Government considers it necessary in the public interest so to do, it may, by order in writing together with a statement of reasons therefor, direct the Board to cancel any of the scale of rates in force or modify the same, within such period as that Government may specify in the order.

(2) If the Board fails or neglects to comply with the direction under sub-rule (1) within the specified period, the Central Government may cancel any of such scale of rates or make such modifications therein as it may think fit:

Provided that before so cancelling or modifying any scale of rates the Central Government shall consider any objection or suggestion which may be made by the Board during the specified period.

(3) If any scale of rates has been cancelled or modified by the Central Government under sub-rule (2), such cancellation or modification shall be published by the Central Government in the Official Gazette and shall thereupon have effect accordingly.

12. Miscellaneous.- (1) The Chairperson of the Board may attend any committee meeting as *ex- officio* member and whenever the Chairperson attends any committee meeting, he shall preside over that meeting.

(2) No committee member, other than the Chairperson of the Board or a person specifically authorized by him, shall give information to the press or any other public media on matters related to any decision taken at the committee meetings.

[F. No. PD-24015/21/2021-PD-I]

VIKRAM SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.11.23 22:40:22 +05'30'